# संसद के समक्ष अभिभाषण – 17 फरवरी 1965

| | | |
|---|---|---|
| लोक सभा | - | तीसरी लोक सभा |
| सत्र | - | वर्ष का पहला सत्र |
| भारत के राष्ट्रपति | - | डॉ. एस. राधाकृष्णन |
| भारत के उपराष्ट्रपति | - | डॉ. जाकिर हुसैन |
| भारत के प्रधानमंत्री | - | श्री लाल बहादुर शास्त्री |
| लोक सभा अध्यक्ष | - | सरदार हुकम सिंह |

माननीय सदस्यगण,

संसद के नए अधिवेशन का कार्यभार उठाने के लिए एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं।

हाल ही में जो साल समाप्त हुआ है, उसमें हमारा देश परीक्षा की एक ऐसी घड़ी से गुजरा जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे कठिन कही जा सकती है। जनता ने अपने प्यारे नेता श्री जवाहरलाल नेहरू को खो दिया; वे लोगों के मित्र, शुभचिन्तक और पथ-प्रदर्शक थे। इसके अलावा और भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में अभूतपूर्व तूफानों के कारण जान और माल की जो भारी हानि हुई, उससे हमें बड़ा दु:ख पहुंचा। सहायता संबंधी उपाय तत्काल बरते गए। हमारे सामने अब भी कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका मुकाबला हमें हिम्मत और मुस्तैदी के साथ करना है। इनके बावजूद हमारे देश ने अनेक दिशाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

पिछले बारह महीनों पर अगर हम नजर डालें तो हम देखेंगे कि कई क्षेत्रों में हमें विशेष सफलतायें प्राप्त हुई हैं जो हममें आशा और विश्वास का संचार करती हैं। तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में राष्ट्र की आमदनी केवल 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ग की दर से बढ़ी थी। 1963-64 में औद्योगिक उत्पादन में 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से आमदनी की बढ़ोतरी के आंकड़े बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गए हैं। चालू वर्ष के दौरान में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की आशा है।

तीसरी योजना के दौरान में पब्लिक सेक्टर के जिन बहुत से प्रतिष्ठानों में भारी मात्रा में पूंजी लगाई गई थी, उनमें उत्पादन शुरू हो गया है। इनमें शामिल हैं: रांची का भारी इंजीनियरी कारखाना, दुर्गापुर का खनन मशीन का कारखाना, बरौनी का तेल शोधक कारखाना और पिंजोर तथा कलामासेरी के मशीनी औजारों के कारखाने। हालांकि इनमें से कुछ प्रतिष्ठानों में उत्पादन अभी प्रारंभिक स्तर पर ही है, फिर भी हम यह आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में इन कारखानों से हमारे आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।

बिजली और परिवहन के क्षेत्र में हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। पहली योजना के शुरू में जिन गांवों को बिजली दी गई थी उनकी संख्या 4,000 थी; अब वह बढ़कर लगभग 40,000 हो गई है। दूसरी योजना के अंत में बिजली के उत्पादन की क्षमता 56 लाख किलोवाट थी; ऐसी आशा की जाती है कि तीसरी योजना के अंत तक वह बढ़कर 117 लाख किलोवाट हो जाएगी। पानी के जहाजों का टनभार लगभग 1.4 लाख ग्रौस रजिस्टर टन्स पहुंच गया है जो तीसरी योजना के लक्ष्य से अधिक है। रेलवे में हमारी आज की आवश्यकताएं पूरी करने की काफी क्षमता है और इसका निरंतर विकास हो रहा है।

गुजरात और असम में तेल की नई खोज की गई है और भारत को ईरान के तटवर्ती द्वीपों में तेल खोजने के अधिकार मिल गए हैं। यूरेनियम के नए और उपयोगी भंडार मिले हैं और हमारे पास यूरेनियम के काफी बड़े रिज़र्व हैं। एक प्लूटोनियम प्लांट चालू हो गया है। ट्राम्बे प्रतिष्ठान के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ही इसका डिजाइन तैयार किया और इसे खड़ा किया है। तारापुर और राणा प्रताप सागर में एटमी बिजलीघर बनाने का काम शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एटमी शक्ति का उपयोग भविष्य में निरंतर बढ़ाया जाएगा और वह अधिकाधिक देश में बनी चीजों, देश के ही तकनीकी ज्ञान और अनुसंधान पर आधारित होगा।

एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि आम आदमी के काम आने वाली कई चीजें और अधिक मात्रा में मिलने लगी हैं। 1964 में मिल के कपड़े का उत्पादन 2100 लाख मीटर और बढ़ गया है।

जैसा कि आपको मालूम है, पिछले तीन वर्षों में खाद्यसामग्री के उत्पादन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ राज्यों में खाद्यसामग्री की कमी हुई जिसके कारण गहरी चिंता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए बाहर से ज्यादा खाद्यसामग्री मंगाई गई और ऐसे उपाय बरते गए जिनसे सुलभ सामग्री का, जहां तक हो, समुचित वितरण किया जा सके। हाल ही में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और खाने-पीने की चीजों की कीमतें कुछ गिरी हैं। सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और उसका इरादा है कि निकट भविष्य में खाद्यसामग्री के वितरण की नीति पर फिर से विचार किया जाए।

हाल के महीनों में खाने की सामग्री की जो समस्या उठ खड़ी हुई थी उसका सामना करने के लिए जो उपाय किए गए उनके अलावा खाद्यसामग्री की उपज बढ़ाने के लिए एक लंबे अरसे की नीति अपनाई गई है, कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं और कुछ पर अमल हो रहा है। किसान को यह आश्वासन दे दिया गया है कि कीमतें एक निश्चित दर से नीचे नहीं गिरने दी जाएंगी और वे आर्थिक स्तर पर नियत कर दी गई हैं। कीमतों की स्थिति का निरंतर अध्ययन करते रहने के लिए एक कृषि मूल्य कमीशन नियुक्त कर दिया गया है। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसान को समय पर रासायनिक खाद मिल सके और उसकी अन्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें। प्राथमिकता के आधार पर ऐसी छोटी सिंचाई योजनाओं पर अमल किया जाएगा जिनके परिणाम जल्दी निकल सकें।

इस साल के शुरू में ही खरीफ की ऐसी बड़ी फसल हुई है जैसी पहले नहीं हुई थी। आशा है, पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष रबी की फसल भी काफी अच्छी होगी। इन अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए और पैदावार को बढ़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उन्हें ध्यान में रखकर हमारी सरकार खाने-पीने की चीजों की कीमतों में लंबे अरसे तक स्थिरता रखने के लिए सभी संभव उपाय बरत रही है। फिर भी, हर तरह के संभव परिणामों को ध्यान में रखकर, देश की पैदावार और आयात की हुई सामग्री में से रक्षित (बफर) भंडार बनाने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। पब्लिक सेक्टर में जो फूड कारपोरेशन स्थापित किया गया है, उससे सुचारू बाजार व्यवस्था सुनिश्चित करने और व्यापारी वर्ग में समाज-विरोधी कार्रवाइयों को रोकने में सहायता मिलेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में हालांकि हमारा पिछला रिकार्ड अच्छा रहा है, फिर भी उसमें नये सिरे से गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। यह न केवल मूल्यों को स्थिर करने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि अधिक उत्पादन के लिए भी।

मुद्रास्फीति के खतरे का सही जवाब अधिक उत्पादन करना है, फिर भी मूल्य के स्तर पर मुद्रा के दबाव को और विदेशों में अपनी अदायगी के प्रश्न को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ अंशों में यह दबाव ऐसे धन से उत्पन्न हुआ है जो खाते में नहीं दिखाया जाता और न उसका पता ही दिया जाता है। इस प्रकार के धन का पता लगाने के लिए कठोर उपाय बरते जा रहे हैं और इस कोशिश में कोई ढील नहीं दी जा सकती। साथ ही, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो सीधे रास्ते पर आने को तैयार हैं और कानून के खिलाफ की गई कमाई के बारे में पूरी जानकारी देने को तैयार हैं।

इसके अलावा, हमारी सरकार यह घोषणा पहले ही कर चुकी है कि घाटे का वित्तप्रबंधन (डेफिसिट फाइनेंसिंग) नहीं किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक व्यय पर

निश्चित रूप से नियंत्रण करना होगा। बैंक ऋण के विस्तार को भी रोकना होगा। मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए मुद्रा संबंधी अनुशासन को दृढ़ बनाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हमारे आयात और निर्यात में उचित संतुलन कायम रहे।

हाल के महीनों में, सरकार को ऋण और ब्याज की अदायगी के रूप में और आयात किए हुए माल के मूल्य के रूप में बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ी है। इससे हमारे विदेशी मुद्राकोष में कमी आ गई, हालांकि 1964 के दौरान हमें निर्यात से जो आमदनी हुई, वह पिछले साल की अपेक्षा 50 करोड़ रुपए अधिक थी। इस स्थिति को सुधारने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

इस समय हम देश की चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में लगे हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। ये वर्ष हमारे लिए निर्णायक होंगे। इस योजना से संबद्ध एक ज्ञापन पर राष्ट्रीय विकास परिषद् विचार कर चुकी है और इसे संसद पटल पर रख दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना का सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा—उत्पादन की गति बढ़ाना और साधनों का पूरे प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल करना। इस काम के लिए सरकार योजना-तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार कर रही है। इस योजना में खेतीबाड़ी, भारी और अन्य उद्योगों के संतुलित विकास, गांवों की प्रगति, ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने और सामाजिक तथा आर्थिक अंतर मिटाने पर जोर दिया जाएगा। ऐसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिनके नतीजे जल्दी सामने आएं। हमें देखना यह है कि इस विशाल देश के हरेक परिवार का रहन-सहन एक खास स्तर से नीचे न गिरे। इस प्रकार की योजना पर अमल करने के लिए यह जरूरी होगा कि समाज का हर वर्ग समर्पण और त्याग की भावना से काम करे। मुझे विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन पाकर जनता अपना सहयोग देती रहेगी।

पब्लिक सेक्टर की परियोजनाओं पर और तेजी से काम किया जाएगा और इस तरह कि इनके परिणाम उत्पादन और लाभ के रूप में जनता के सामने जल्दी आएं। चौथी योजना की कई परियोजनाओं पर इस वर्ष से ही अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सीमेंट की कमी दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर में सीमेंट के उत्पादन का एक कॉरपोरेशन स्थापित कर दिया गया है। चौथी योजना में प्राइवेट सेक्टर का काम महत्वपूर्ण होगा। सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को सभी मुनासिब सुविधाएं दी जाएं ताकि वह अपना काम अच्छे और कारगर तरीके से कर सके।

देश की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण खेती और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन की रफ्तार तेज करना बहुत जरूरी हो गया है। 1951 और 1961 के बीच देश की जनसंख्या 36 करोड़ से 44 करोड़ हो गई और अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो तीसरी योजना के अंत में 49 करोड़ और चौथी योजना के पूरे होते-होते

55 करोड़ हो जाएगी। राष्ट्र के लिए यह बहुत आवश्यक है कि परिवार सीमित रखे जाएं। परिवार परिसीमन नियोजन की सम्मिलित सेवा तैयार की गई है जिसमें परिवार परिसीमन और जच्चा-बच्चा के कल्याण का ध्यान रखा जाएगा। लगभग 12,000 परिवार नियोजन केन्द्र खोले जा चुके हैं।

ठीक योजनाएं बनाना तो बहुत जरूरी है ही लेकिन जहां तक जन-सामान्य का प्रश्न है, परिणाम का महत्व अधिक होता है और संतोषजनक ढंग से परिणाम तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब योजनाओं और नीतियों पर अमल करने वाला प्रशासन-तंत्र तेजी, होशियारी और ईमानदारी से काम करे। इसलिए सरकार खास तौर से यह प्रयत्न करेगी कि प्रशासन-तंत्र में सुधार किया जाए।

सरकार सामाजिक सेवाओं का विस्तार तथा सुधार करने की आवश्यकता के प्रति सजग है, विशेषकर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में सरकार को सलाह देने के लिए शिक्षा कमीशन बनाया गया है। अधिक धन निर्धारित करके और समन्वित कार्रवाई करके, भवन निर्माण कार्यक्रम को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और इसी उद्देश्य से भवननिर्माण बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं। कम आमदनी वाले वर्ग के लोगों को मुनासिब दामों पर जमीन दिलाने की बात भी सोची जा रही है।

हमारी सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि कारखानों में शांति बनी रहे और इस काम के लिए बातचीत, समझौता और पंच-फैसले के उपलब्ध साधनों से काम लिया जाए। मजदूरों के कल्याण के उपायों पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से उद्योगों के लिए मजदूरी बोर्ड कायम किये जा रहे हैं, बोनस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर फैसले किए जा रहे हैं, कारखानों में उपभोक्ता सहकारी समितियां और उचित मूल्य की दुकानें खोली जा रही हैं तथा मजदूर शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि 1964 के दौरान में कुछ सेक्टरों में औद्योगिक संबंध बिगड़ गए। हमारी सरकार को पूरी आशा है कि मालिक और मजदूर दोनों अधिक से अधिक उत्पादन का महत्व समझेंगे और देशहित को सामने रखकर, साथ मिलकर, काम करेंगे।

दक्षिण भारत की घटनाओं से हमें बहुत दु:ख पहुंचा है। हम हिंसात्मक कार्रवाइयों की निंदा करते हैं और अपनी हार्दिक संवेदनाएं उनके प्रति प्रकट करते हैं जिन्हें क्षति पहुंची है। ऐसा लगता है कि वहां के लोगों के मन में भाषा के प्रश्न के प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हुए जिनसे वे उत्तेजित हो उठे। हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने जो आश्वासन दिए थे और जिनकी पुनर्पुष्टि हमारे प्रधान मंत्री ने की है, उन पर पूरी तरह और बिना किसी शर्त के अमल किया जाएगा। देश की एकता के लिए यह जरूरी है। यद्यपि हिन्दी भारत संघ की राजभाषा है, अंग्रेजी

सह राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह तब तक चलेगा जब तक अहिंदी भाषी इसकी आवश्यकता समझते हैं। हमें पूरी आशा है कि इससे लोगों की आशंकायें दूर होंगी और वे अपने सामान्य कामकाज पर लौट जायेंगे। इसमें संदेह नहीं कि संसद के सदस्यगण इस पूरी नीति पर विचार करेंगे जिसकी पुष्टि और पुनर्पुष्टि, उसके वैध, प्रशासनिक और कार्यकारी सभी पहलुओं के साथ, अक्सर की गई है। इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया है।

हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीनी खतरा बराबर बना हुआ है। अपने बचाव के साधनों को मजबूत करने के लिए एक पंचवर्षीय रक्षा योजना पर काम हो रहा है जो 1964 से 1969 तक चलेगी। कार्यक्रम के अनुसार नए डिवीजनों को तैयार और हथियारबंद किया जा रहा है। तीन वर्ष पहले हमारी आर्डनेंस फैक्टरियां जितना सामान तैयार करती थीं, पिछले साल उन्होंने उससे लगभग दुगना तैयार किया। हवाई सेना का विस्तार किया जा रहा है ताकि वह दुश्मन के हवाई हमलों से हमारी रक्षा ज्यादा अच्छी तरह कर सके और फौजों को लड़ाई के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और सामान पहुंचाने में भी उनकी सहायता कर सके। नौ सेना को मजबूत बनाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

रक्षा पर खर्च बढ़ जाने से मुल्क के ऊपर अधिक बोझ आ पड़ा है और विकास के साधनों को दूसरी ओर लगाना पड़ा है। हथियार बनाने में हम किसी भी देश के साथ होड़ नहीं लगा रहे हैं। साथ ही, अपने को मजबूत बनाने का हमारा पक्का इरादा है ताकि कोई हम पर हमला करे तो हम उसका मुकाबला कर सकें।

चीन के एटमी विस्फोट से दुनिया के सभी शांतिप्रिय लोगों को धक्का लगा है। हो सकता है, चीन जल्द ही दूसरा विस्फोट करे। हमने यह निश्चय किया है कि इस स्थिति के बावजूद भी हम एटमी हथियारों को बनाने का काम शुरू नहीं करेंगे। इसके बजाय हम अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि एटमी लड़ाई का खतरा ही मिट जाए।

दूर और पास के, बड़े और छोटे, पूर्व और पश्चिम के सभी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध दोस्ती के हैं। सिर्फ चीन ने हमारी तरफ दुश्मनी का रुख अख्तियार कर लिया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ।

गुटबंदी से अलगाव और सह-जीवन हमारी विदेश नीति के दो बुनियादी सिद्धांत हैं। हमारा हमेशा यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इन्सान की तरक्की के लिए शांति बहुत जरूरी है। दुनिया के जो देश विकास की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए तो यह और भी जरूरी है क्योंकि उनको बड़ी-बड़ी समस्याओं का सामना करना है। इन कारणों से, और

निकटतम पड़ोसी देशों में दिलचस्पी रखने की वजह से भी इधर जो घटनाएं दक्षिण-पूर्व एशिया में हुई हैं, उनसे हमें बड़ी चिंता है। ऐसी घटनाएं जो खतरनाक मोड़ ले रही हैं, खासकर वियतनाम में, उनको रोकने के लिए हमारी सरकार ने यह सुझाव दिया है कि जल्द ही जेनेवा की तरह का कोई सम्मेलन बुलाया जाये ताकि इस समस्या का कोई राजनीतिक हल निकाला जा सके। इस मामले पर हम अपने दोस्त मुल्कों के संपर्क में भी हैं।

मिस्टर हैरल्ड विल्सन का युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री के रूप में मि. कोसीजिन का सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में और संयुक्त राज्य अमरीका ने मिस्टर जानसन का प्रेजीडेन्ट चुना जाना बड़ी अहम घटनाएं हैं। ये तीनों नेता भारत के पुराने मित्र हैं। फ्रांस के प्रधान मंत्री ने पहली बार भारत की यात्रा की है परिणामस्वरूप दोनों देशों में समझ-बूझ बढ़ी है। श्रीलंका की प्रधान मंत्री, बर्मा* की क्रांतिकारी परिषद के चेयरमैन, भूटान के महाराज और नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज और महारानी तथा विदेश मंत्री की भारत यात्राएं इस बात का सबूत हैं कि भारत और उसके पड़ोसियों में दोस्ती बढ़ी है। बेल्जियम के महामहिम राजा और रानी, इराक गणतंत्र के राष्ट्रपति, सिंगापुर के प्रधान मंत्री, कुवैत के युवराज और प्रधान मंत्री और मारिशस के प्रधान मंत्री का स्वागत करने का मौका भी हमें मिला।

परम पावन पोप पाल षष्टम की यात्रा भी विशेष उल्लेखनीय है जो दिसम्बर, 1964 में यूकेरिस्टिक कांग्रेस में भाग लेने के लिए बम्बई** पधारे। वे हमारे देश में कुछ ही दिन रुके, फिर भी अपने परम्परा के अनुसार सब धर्मों के लोगों ने उसका हार्दिक स्वागत किया।

हमारा मुल्क उपनिवेशवाद का पूरा विरोधी है; इसलिए मलावी, माल्टा और जाम्बिया की आजादी पर हमें बड़ी खुशी हुई। हमें प्रसन्नता है कि कल इस सूची में गांबिया का नाम भी जुड़ जाएगा।

पिछले वर्ष सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और आयरलैंड की सरकारों के निमंत्रण पर मैंने उन देशों की यात्राएं कीं। दोनों देशों में मेरा जो हार्दिक स्वागत हुआ, वह इस बात का सबूत है कि इन देशों में भारत और उसकी जनता के लिए बड़ी सद्भावना है।

गुटों से अलग देशों का जो सम्मेलन काहिरा में हुआ उसके भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व प्रधान मंत्री ने किया। सम्मेलन में जो बुनियादी एकता और एक तरह का जो रुख देखा गया उससे इस बात का भारी सबूत मिला कि गुटों से अलग रहने की नीति बराबर सही और ठीक रही है।

---

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

**अब मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

संसद के सामने 22 बिल हैं जिन पर आपको विचार करना है। साल के दौरान में जो नए बिल सरकार सामने लाना चाहती है, उनमें से कुछ ये हैं:–

(1) बोनस की अदायगी का बिल।

(2) फैक्टरी (संशोधन) बिल।

(3) आयात-निर्यात नियंत्रण (संशोधन) बिल।

(4) भारतीय टैरिफ (संशोधन) बिल।

(5) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बिल।

(6) नौ-जल प्रोवीडेन्ट फंड बिल।

(7) चावल-पिसाई उद्योग (विनियम) संशोधन बिल।

(8) पेटेन्ट बिल।

(9) आयकर (संशोधन) बिल।

1965-66 के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के आय-व्यय के अनुमान का एक ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

माननीय सदस्यगण, आपके सामने एक लंबा-चौड़ा कार्यक्रम है और उसे पूरा करने में आपको बड़ा श्रम करना पड़ेगा। एक संपन्न समाजवादी समाज का विकास और दुनिया के दूसरे देशों के साथ दोस्ती और सहयोग का विस्तार हमारी नीति की बुनियादें हैं। हम क्या करना चाहते हैं यह सबको मालूम है और हमारी मंजिल साफ हमारे सामने है। वहां तक पहुंचने के लिए पक्के इरादे और पूरे विश्वास के साथ आपको राष्ट्र का पथ-प्रदर्शन करना है।